

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक:- प 7(1)(3) पंचा/रानिआ/14-15/ 1408

दिनांक : 04/02/26

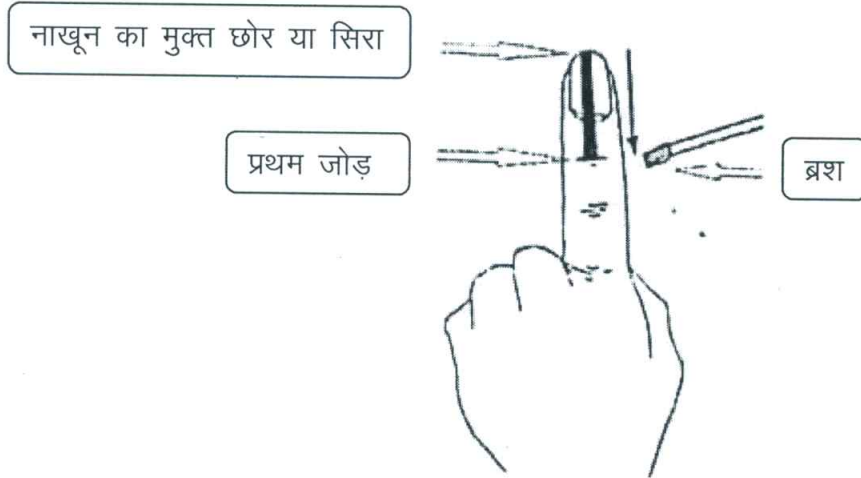
समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय:- निर्वाचकों की अंगुली पर अमिट स्याही लगाना-तत्संबंधी।

महोदय,

आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के चुनावों में निर्वाचकों की अंगुली पर अमिट स्याही लगाने के संबंध में पूर्व में जारी आयोग के पत्र क्रमांक 5493 दिनांक 26.07.2015 को अधिक्रमित करते हुए निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं, जिनकी पालना करवाया जाना सुनिश्चित करावे:-

1. अमिट स्याही बाईं तर्जनी के नाखून के आखिरी सिरे से प्रथम जोड़ के नीचे तक ब्रश की सहायता से मतदाता की अंगुली पर लगाई जाएगी जैसा कि नीचे आरेख में दर्शाया गया है।



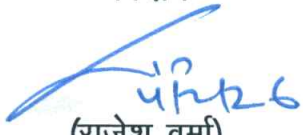
2. कन्ट्रोल यूनिट के प्रभारी मतदान अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कन्ट्रोल यूनिट का बैलेट बटन दबाने से पहले, निर्वाचकों की अंगुली पर अमिट स्याही का निशान पूरी तरह से लगा हो। साथ ही मतपेटी से मतदान होने की स्थिति में चतुर्थ सहायक मतदान अधिकारी निर्वाचक द्वारा मत अभिलिखित करने से पूर्व अमिट स्याही का निशान निर्वाचक की अंगुली पर पूरी तरह लगाया जाना सुनिश्चित करें।

3. इस अनुदेश की एक प्रति सभी रिटर्निंग अधिकारियों को भेजी जाए। प्रशिक्षणों के दौरान इस अनुदेश को सभी पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों के सख्त अनुपालना के लिए उनके संज्ञान में लाए जाए। मतदान ड्यूटी पर जाते समय पीठासीन अधिकारी को दी गई किट में भी इस अनुदेश की एक प्रति रखी जाएगी।

4. आयोग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2235 दिनांक 25.06.2019 में प्रदान किये गये निर्देशों को भी ध्यान में रखा जावे।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय


(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक:- प 7(1)(3) पंचा/रानिआ/14-15/ 1409-1413

दिनांक : 04/02/26

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. अति. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान।
2. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
4. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को ई-मेल करने एवं आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।


(अम्बा लाल मीणा)
उप सचिव